...व हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 89/2021 अनवान मेताराम बनाम गोपाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय आटी पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक **06.12.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय आटी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आटी पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	
06.12.2021	यह पत्रावली आज बमुकाम आटी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आटि पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थितं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 465/150 रकबा 23.12 बीघा मौजा इण्डारा पटवार मण्डल आटी में सुखाचार हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नंबर 558/150 रकबा 17.14 बीघा में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल मिशल हो पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 465/150 रकबा 23.12 बीघा मौजा इण्डारा मे आया हुआ है। प्रार्थी के खेत से अन्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। सड़क मार्ग से प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए निम्न प्रकार से खसरान् का रकबा बीच मे पड़ता है:– **ग्राम इण्डारा**	

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित रास्ता		डी. एल. सी. दर से दुगुणी राशी
				लम्बाई x चौडाई (गट्ठो में)	प्रस्तावित रास्ता रकबा	
1	गोपाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेगवाल सा देह खातेदार	558/150	17.14 बीघा किस्म बा.अ.	230X15 फीट	0.04 बीघा	28523

उक्त खसरान् के खेत की कुल 0.04 बीघा भूमि संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्ग की आवश्यकता है। उक्त मार्ग हेतु आवश्यक मुआवजा राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजरे आम में रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम **इण्डारा** तहसील बाडमेर में प्रार्थी खेत खसरा नंबर 465/150 रकबा 23.12 बीघा मे पहुँचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नंबर 558/150 रकबा 17.14 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 0.04 बीघा भूमि की बाजार दर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

प्रति बीघा का 02 गुणा राशि 28,523/– रूपये अदा कर उक्त खसरें में से गुजरना पडेगा। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 4 गट्ठा रखी गयी है, जो आपस में जुड़ने वाले खसरों की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का काई मार्ग नही है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम इण्डारा तहसील बाडमेर में प्रार्थी खेत खसरा नंबर 465/150 रकबा 23.12 बीघा मे पहुँचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नंबर 558/150 रकबा 17.14 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 0.04 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा का 02 गुणा राशि 28523/– मार्ग का कुल क्षैत्रफल 0.04 बीघा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग "लाल" दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी गोपाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेगवाल निवासी इण्डारा को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर